भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं0 16

19 जुलाई, 2018 को उत्तर के लिए

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहयोग निधि जारी किया जाना

*16- **श्री संजय सिंह**:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को अमृत के अंतर्गत केवल 19.2 प्रतिशत केन्द्रीय सहयोग राशि जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य के मद्देनजर कि अमृत के अधीन परियोजनाओं की उक्त संपूर्ण निधि को जारी किए जाने की समय-सीमा बाईस माह है, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि 21 राज्यों को आज की तिथि तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी, राज्य-वार और वर्ष-वार, ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क)से(ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

<u>विवरण</u>

"राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहयोग निधि जारी किये जाने" के संबंध में दिनांक 19.07.2018 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क)और(ख): जी, नहीं । अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने तीन दौर में 35,989.70 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता सहित 77640 करोड़ रूपए के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं (एसएएपी) अनुमोदित की हैं । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को आबंटित केन्द्रीय सहायता तीन किस्तों (20:40:40) में जारी की जाती है । प्रथम किस्त एसएएपी का अनुमोदन होने के तत्काल बाद जारी की जाती है । दूसरी और तीसरी किस्त स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (आईआरएमए) की रिपोर्ट के साथ जारी केन्द्रीय सहायता के 75% अथवा इससे अधिक राशि और अनुरूप राज्य अंश के लिए उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाती है ।

केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त 7,198 करोड़ रूपए बनती है और मंत्रालय ने इसके लिए 7138 करोड़ रूपए (99.17%)जारी किए हैं । दूसरी किस्त उन राज्यों को भी जारी की गई है जो सभी प्रकार से पूर्ण अपने दावे प्रस्तुत कर चुके हैं । अभी तक, मंत्रालय ने अमृत के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 13,047 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की है ।

(ग): जी, नहीं ।

(घ): प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ.): मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की गई है । पिछले तीन वर्षों के दौरान, जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है ।

******

"राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहयोग निधि जारी किये जाने" के संबंध में दिनांक 19.07.2018 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन(अमृत) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा</u>

सभी राशि करोड़ रूपए में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.74	0.72	0.04	0.81	2.31
2	आंध्र प्रदेश	72.50	88.62	441.30	0.00	602.42
3	अरुणाचल प्रदेश	7.62	74.14	0.19	0.00	81.95
4	असम	4.07	127.42	3.97	0.00	135.46
5	बिहार	73.17	97.73	106.48	0.00	277.38
6	चंडीगढ़	3.26	4.29	5.13	16.13	28.81
7	छत्तीसगढ़	67.96	79.20	163.87	0.00	311.03
8	दादरा और नगर हवेली	0.68	0.83	0.00	0.76	2.27
9	दमन और दीव	1.06	1.15	0.00	1.54	3.75
10	दिल्ली	56.96	226.25	68.45	0.00	351.66
11	गोवा	6.19	10.09	9.66	0.00	25.94
12	गुजरात	131.72	245.20	238.12	0.00	615.04
13	हरियाणा	48.80	50.88	62.45	0.00	162.13
14	हिमाचल प्रदेश	113.81	120.60	21.05	0.00	255.46
15	जम्मू-कश्मीर	31.77	165.13	202.86	0.00	399.76
16	झारखंड	29.34	45.84	71.15	0.00	146.33
17	कर्नाटक	126.85	299.40	406.59	544.01	1376.85
18	केरल	59.85	123.49	115.33	0.00	298.67
19	लक्षद्वीप	0.16	0.24	0.35	0.00	0.75
20	मध्य प्रदेश	275.39	383.74	386.67	0.00	1045.80
21	महाराष्ट्र	263.71	612.15	512.85	0.00	1388.71

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	कुल
22	मणिपुर	32.57	54.69	12.58	0.00	99.84
23	मेघालय	4.36	68.85	0.51	0.00	73.72
24	मिजोरम	7.55	11.15	11.52	49.21	79.43
25	नागालैंड	14.87	9.08	0.36	8.14	32.45
26	ओडिशा	47.88	86.98	320.72	0.00	455.58
27	पुडुचेरी	0.50	28.76	5.80	0.00	35.06
28	पंजाब	135.11	209.75	27.49	96.96	469.31
29	राजस्थान	99.15	256.36	264.53	20.73	640.78
30	सिक्किम	4.88	2.40	3.93	0.00	11.21
31	तमिलनाडु	299.45	491.87	486.69	0.00	1278.01
32	तेलंगाना	53.53	117.86	116.81	0.00	288.20
33	त्रिपुरा	16.59	10.58	11.94	0.18	39.29
34	उत्तर प्रदेश	318.30	462.67	520.88	0.00	1301.85
35	उत्तराखंड	28.49	40.47	72.84	0.00	141.80
36	पश्चिम बंगाल	170.64	177.53	239.99	0.00	588.16
	कुल	**2609.48**	**4786.11**	**4913.1**	**738.47**	**13047.17**

1. इन आंकड़ों में अमृत परियोजनाओं (अमृत के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु अनुमोदित पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), सुधारों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु जारी की गई राशि शामिल है ।
2. ये आंकड़े 16.07.2018 की स्थिति के अनुसार हैं ।

*****